:: कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::
।। ज्ञापन ।।

क्रमांक–   / 2020   उज्जैन, दिनांक–05 / 06 / 2020

प्रति,

प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि अनुभाग,
उज्जैन / नागदा / खाचरौद / महिदपुर / बड़नगर / तराना

विषय–अति आवश्यक प्रकृत्ति के आवेदन पत्रों के निराकरण बाबत्।

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में लाकडाउन अवधि में प्रतिलिपि अनुभाग कार्यरत नहीं होने से अधिवक्तागण एवं पक्षकार को असुविधा हो रही है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 08.06.2020 से 13.06.2020 की अवधि में अत्यावश्यक प्रकृत्ति के प्रतिलिपि आवेदन पत्र प्राप्त एवं निराकरण करने हेतु आपके अधीनस्थ प्रधान प्रतिलिपिकार एवं सहायक प्रतिलिपिकार को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा उक्त कार्य हेतु अनुभाग में पदस्थ जितने कर्मचारीगण की आप आवश्यकता महसूस करते हो, उतने कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाकर कार्यालय को अवगत करावें।

प्रतिलिपि कार्य रिमांड अवधि के दौरान दोपहर 03.00 बजे से 05.00 बजे तक संपादित करावें । ड्यूटी लगाते समय यह सुनिश्चित करें कि कंटेंटमेंट एरिया में निवासरत कोई भी कर्मचारी न्यायालय में उपस्थित नहीं होवे तथा कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जावे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक–   / 2020   उज्जैन, दिनांक–05 / 06 / 2020

प्रतिलिपि–

अध्यक्ष, मंडल अभिभाषक संघ, उज्जैन / नागदा / खाचरौद / महिदपुर / बड़नगर / तराना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म0प्र0)